GOVERNING BODY OF THE INSTITUTE CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS FROM THE

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरमाष : 07752-424497

दिनांक : 04.11.2016

समस्त सहायक प्राध्यापकों / कर्मचारियों के लिए आचार संहिता :-

0.1- सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी संपूर्ण एकता महाविद्यालय के प्रति और समर्पण की भावना से अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनके पदीय कदाचरण के कारण संस्था की गरिमा एवं हित के प्रतिकूल हो।

02- कोई भी शिक्षक/कर्मचारी महाविद्यालय से संबंधित विषय पर बिना प्राचार्य की अनुमित लिये किसी भी समाचार माध्यम से संबंधित नहीं रहेंगे, तथा किसी भी माध्यम से अपने वक्तव्य प्रकाशित नहीं करेंगे।

03- शिक्षक/कर्मचारी को प्राचार्य द्वारा दिये गए सभी विधिक एवं प्रशासनिक आदेशो एवं कार्यों का अक्षरशः पालन करना होगा। अपने शैक्षणिक कर्त्तव्यों के अतिरिक्त प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अन्य सह-पाठ्यक्रम तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों के अन्तर्गत सींपे गए दायित्वों का पालन करना अनिवार्य होगा।

04- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी किसी भी राजनैतिक संगठन के साथ किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गतिविधियों में संलग्न नही रहेगा, और न ही किसी विशेष राजनैतिक संगठन के प्रचार-प्रसार में भाग लेकर

अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस संगठन को लाभ पंहुचाएगा।

05- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी अध्यक्ष, शासी निकाय/प्राचार्य की अनुशंसा के बिना महाविद्यालयीन विषय के संबंध में किसी भी उच्च अधिकारी/मंत्रीगण/राजनीतिक नेता यथा विद्यायक, सांसद आदि से सीधे संपर्क नहीं करेगा, और न ही महाविद्यालय/प्रशासन समिति के जारे में समाचार पत्रों या इलेक्ट्रानिक मिडिया में वकतव्य देगा।

06- यहाविद्यालय एवं प्रशासन समिति प्राध्यापक संघ/कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा अवांछनीय एवं अवैद्यानिक गतिविधियों को निर्जा गतिविधि मानता है। प्राध्यापक संय/कर्मचारी संघ अथवा प्रतिनिधि के गाध्यम से या व्यक्तिगत् रूप से अपनी उचित मांग को महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के पास रख सकते है, इसके विपरित प्राध्यापक या कर्मचारी संघ के पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मिडिया में महाविद्यालय की गरिमा के प्रतिकूल दिये गए बयान को व्यक्तिगत् मानकर कार्यवाही की जावेगी।

07- सभी प्राध्यापक/कर्मचारी को छत्तीसगढ़ शासन के सिविल सेवा आचरण नियम अवकाश नियमों का तथा उच्च शिक्षा एवं अन्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संबंधित आदेशो को अक्षरशः एवं अनिवार्य रूप

से पालन करना होगा।

08- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी या उनका संघ यदि महाविद्यालय अथवा प्रशासन समिति के विरूद्ध न्यायालय एवं शासन के पास किसी मामले में जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी को लिखित में सूचना देना एवं अनुमति लेन' अनिवार्य होगा।

09- कोई भी प्राध्यापक/कर्मचारी स्वंय के कोचिंग/ट्यूशन/व्यवसाय नहीं कर सकते है, इसके अतिरिक्त किसी भी संस्था/संगठन या अन्य स्थानों में अपनी सेवाएँ देने के पूर्व महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी से अनुमति

10- आचार संहिता के किसी भी कंडिका का उल्लंघन अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में रखा जायेगा, तथा इस हेतु महाविद्यालय प्रशासन संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा। उपरोक्त आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू क्रिया जाता है।

दिनांक 02.10.2016 को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित

243/letter ----

बिलासपुर (छ.ग.)

TRANSLATED COPY OF THE CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS

OFFICE OF THE PRINCIPAL



D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

Translated Copy of Code of Conduct for Professor and Employee

Following code of conduct is approved by the Governing Body for Professors and Employee

- 1- All the professors and employee will serve the institute with complete dedication and unity to fulfill their duties; they will not do anything that can be considered as their official misconduct and tar the dignity of the institution.
- 2- Any of the professor/ employee will not publish their statement and view in news papers or any other medium without the due permission of the Principal.
- 3- Professor/Employee will have to follow all the legal and administrative orders and work given by the Principal. It would be compulsory to follow co-curricular and extra-curricular activities other than teaching responsibilities.
- 4- Neither of the professors/employees shall be associated with any political organization directly or indirectly, nor will participate in campaigning of any political party and benefit that organization with their influence.
- 5- Neither of the professor/employee is allowed to stay in direct contact with any higher official/ minister/ political leader etc., nor give any statement to print or electronic media without any prior intimation from the governing body/ college.
- 6- The college and governing body considers the undesirable and illegal activities of post holders of professor/employee association as personal activity. Professors/ Employees association or through their representatives are allowed to present their genuine demand to a capable officer of the college. On the contrary if the professor/employee or their representative gives statement to print/ electronic media to tar the image of the college, such act will be considered as personal and action will be taken in accordance.

- 7- All the professor/ employee will have to obey the civil code of conduct and leave rules of Chhattisgarh Government. Moreover they will have to obey compulsorily and literally all the relative orders of higher education or other Department of Chhattisgarh Government.
- 8- It will be compulsory for any professors/ employee are their association to have written intimation and permission from on capable officer before pleading to the Court or Government against the college or governing body.
- 9- No professor/employee is allowed to run their own coaching/tuition/ business. Moreover if they are serving any institute / association or any other place, they will have to take prior permission from a capable officer from the college.
- 10-Violation of any of the clause of code of conduct will be considered as a deed of indiscipline and misconduct, consequently college administration is liable to take strict action against the concerned person.

PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE BILASPUR (C.G.)